

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

कार्यालय ज्ञापन

विषय: डब्ल्यूएसई निदेशालय द्वारा किए जा रहे प्रकाशनों के लिए बने संपादकीय बोर्ड का पुनर्गठन

तकनीकी प्रलेखन निदेशालय और डब्ल्यूएसई निदेशालय के कार्यों के विलय के बाद, विलयित डब्ल्यूएसई निदेशालय को निम्नलिखित प्रकाशन लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

- मासिक सूचनापत्र (हिंदी और अंग्रेजी)
- त्रैमासिक भगीरथ (हिंदी और अंग्रेजी)
- वार्षिक जल संसाधन एक दृष्टि में

उपरोक्त प्रकाशनों के लिए जरूरी जानकारी के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए और इस मामले में पहले के कार्यालय ज्ञापन को अधिक्रमित करते हुए, के.ज.आ.के संपादकीय बोर्ड को नीचे के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

1.	मुख्य अभियंता (मा.स.प्र.), के.ज.आ., नई दिल्ली	मुख्य संपादक
2.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (ईएमओ), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री योगेश पैठणकर, मुख्य अभियंता (पीएमओ), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य
4.	निदेशक (नदी प्रबंध-समन्वय), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य
5.	निदेशक (डब्ल्यूपी&पी- समन्वय), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य
6.	निदेशक (तकनीकी समन्वय), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य
7.	निदेशक (डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक (डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य
9.	उप निदेशक (डी एंड आर-समन्वय), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य
10.	उप निदेशक (डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली	सदस्य –सचिव

संपादकीय बोर्ड के कार्य निम्नानुसार होंगे:

- प्रकाशन की संरचना को अंतिम रूप देने और आवश्यकता के अनुसार इसे संशोधित करना
- सभी संबंधित पक्षों के माध्यम से सामग्री की समीक्षा का आयोजन करके उपर्युक्त प्रकाशनों की सामग्री को अंतिम रूप देना
- जल क्षेत्र से संबंधित अन्य सहकर्मी संगठनों से सामग्री आमंत्रित करना
- हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन करना



- हितधारक / सहकर्मी संगठनों के बीच सूचनापत्र के प्रसार के लिए वितरण सूची को अद्यतन / अंतिम रूप देना
- इस संबंध में पेशेवरों की मदद लेने सहित प्रकाशन के प्रकाशन / मुद्रण / डिजाइन से संबंधित कोई भी मामला
- के.ज.आ.के प्रकाशन पंजीकरण प्रणाली से संबंधित मामले
- के.ज.आ.के प्रकाशनों की सूची, नए प्रकाशनों की आवश्यकता, उनके संरक्षण आदि से संबंधित कोई भी मामला और के.ज.आ.के प्रकाशनों के लिए सलाहकार पैनल को इनपुट प्रदान करना
- संपादकीय बोर्ड अपनी बैठकों में प्रकाशन की आवश्यकता के अनुसार अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकता है
- अन्य प्रकाशनों की सामग्री की समीक्षा (भगीरथ, जल संसाधन एक दृष्टि में, जलांश को छोड़कर) और उनके प्रकाशन से संबंधित प्रकरण संबंधित संगठनों द्वारा मौजूदा प्रणाली के अनुसार देखा जाएगा

यह अध्यक्ष, के.ज.आ., नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी पत्र है।

(शिव सुंदर सिंह)

उप निदेशक

सेवा में

संपादकीय बोर्ड के सदस्य

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

Office Memorandum

Subject: Re-constitution of Editorial Board for publications by WSE Directorate,CWC-reg.

After merging the functions of Technical Documentation Directorate and WSE Directorate, the merged WSE Directorate has been entrusted with the responsibility of bringing following publications:

- Monthly Newsletter (Hindi and English)
- Quarterly Bhagirath (Hindi & English)
- Annual Water Resources at Glance

Considering above and for ease of flow of information for above publications and in suppression of earlier OM in this matter, the **Editorial Board** of CWC is **reconstituted** as below.

1.	Chief Engineer(HRM), CWC, New Delhi	Editor-in-Chief
2.	Sh. Amrendra Kumar Singh, Chief Engineer(EMO), CWC, New Delhi	Member
3.	Sh. Yogesh Paithankar, Chief Engineer(PMO), CWC, New Delhi	Member
4.	Director(RM-Coordination), CWC, New Delhi	Member
5.	Director(WP&P-Coordination), CWC, New Delhi	Member
6.	Director(TC), CWC, New Delhi	Member
7.	Director(WSE), CWC, New Delhi	Member
8.	Sh. Arjesh Kumar Madhok, Dy. Director (WSE), CWC, New Delhi	Member
9.	Dy. Director(D&R-Coordination), CWC, New Delhi	Member
10.	Deputy Director(WSE), CWC, New Delhi	Member-Secretary

Functions of the editorial board would be as under:

- To finalize the content framework and revise it as per requirement
- To finalize the content of afore-said publications by organizing review of content through all concerned
- Inviting content from other peer organizations related to Water Sector
- Bringing out publication in Hindi and English both
- To update/finalize distribution list for circulation of newsletter among stakeholder/peer organizations
- Any matter related to publication/printing/design of publication including seeking help of professionals in this regard
- Matters related to Publication Registration System of CWC



- Any matter related to listing of Publications of CWC, requirement of new publications, their preservation etc. and providing input to Advisory Panel for Publications of CWC
- The Editorial Board may invite other officers as per requirement of publication in its meetings.
- The review of content of other publication (except Bhagirath, Water Resources at a Glance, Jalansh) and matter related to their publishing would be dealt by respective organizations as per existing mechanism.

This issues with the approval of Chairman, CWC, New Delhi.

(Shiv Sunder Singh)
Deputy Director

To:

Members of Editorial Board